



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./प्र.प.प्र./ऑ.प्र./2019/676

दिनांक : 19.06.2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में वर्ष 2019 के संस्थागत प्रवेश हेतु शासन के पत्र संख्या 192/सत्तर-7-2019-बी.एड.(09)/2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग - 2 के शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-11, दिनांक 18.02.2019 का उल्लेख है, के अनुपालन में महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में (BCI, NCI, NCTE, AICTE, MCI, DCI से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को छोड़कर) उपरोक्त निर्गत शासनादेश के क्रम में 10 प्रतिशत सीटें स्वतः बढ़ी हुयी मानी जायेगी। उपरोक्त बढ़ी हुयी सीटों पर केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस..EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों का ही प्रवेश अनुमन्य होगा। यहाँ पर यह सूच्य है कि यदि प्रवेश हेतु यदि ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थी नहीं होंगे तो उक्त सीटें रिक्त रहेगीं।

कृपया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय शासनादेश के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) श्रेणी के 10 प्रतिशत बढ़ी सीटों पर नियमानुसार प्रवेश सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ. सुनीता पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, सम्बन्धित महाविद्यालय, एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
2. समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली
3. निजी सचिव, कुलपति
4. वै.सहा., कुलसचिव
5. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय से कि कृपया छात्र हित में उक्त सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. प्रबन्धक (प्रणाली), यू.पी. डेस्क, लखनऊ
7. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट

Pandey
19/6/19

(डॉ. सुनीता पाण्डेय)
कुलसचिव